

प्रेषक,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी 2020

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण की नवीन प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4562/स०क०/ शिक्षा-अ/3/181/2019-20, दिनांक-29.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र- 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण की नवीन प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-138/2019/2124/26-3-2019-4(358)/07 टी०सी०III दिनांक 04 जून 2019, शासनादेश संख्या-227/2019/4454/26-3-2019-4 (358)/07 टी०सी०III दिनांक-18-10-2019 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर संचालित शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विस्तृत समय सारिणी जारी की गयी थी।

3- अवगत कराना है कि कतिपय मा० सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मा० मंत्रीजी, समाज कल्याण विभाग को अवगत कराया गया है कि कुछ छात्रों के डाटा संस्था स्तर से इंटरनेट बाधित होने के कारण अग्रसारित नहीं हो पाये हैं। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया ने पत्र दिनांक 28.12.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि कैम्पस में बाढ़ एवं इंटरनेट की सुविधा बाधित होने के कारण विश्वविद्यालय स्तर आवेदन अग्रसारित नहीं हो पाये हैं। मा० मंत्रीजी ने छात्र हित में समुचित अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्कन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग छात्र/ छात्राओं हेतु समय-सारिणी तैयार की गयी है। इस समय-सारिणी में ऐसे डाटा जो पूर्व में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति पर पेण्डिंग है, पर भी जनपद स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु साइट खोले जाने का प्रस्ताव है।

4- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय सारिणी का निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :-

Aruhan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

D.P. Dwivedi g.o

PAGE-1/234

10/7/
रि
30.1.
(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

क जनपदों
के मा० सांसदों
2
30/01/2020
J.D.P.

क्र.सं.	प्रक्रियात्मक चरण/वारी	प्रस्तावित समय/तारीख दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2019-20) तृतीय समय-सारिणी
1	2	3
1	छात्र/छात्रा को समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अमरसारित करना।	03 फरवरी, 2020 से 05 फरवरी, 2020 तक
2	एनआईटी की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	08 फरवरी, 2020 से 10 फरवरी, 2020 तक
3	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संक्षेप में निर्णय लिया जाना, स्वीकृति करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना य प्रथम तथा द्वितीय चरण के जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति पर पेण्डिंग डाटा पर निर्णय करना।	03 फरवरी, 2020 से 29 फरवरी, 2020 तक
4	सन्देशारपद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के तामिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सम्मिलित किया जाना।	11 फरवरी, 2020 से 16 फरवरी, 2020 तक
5	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के तुरन्त बाद विलम्बतम 17 फरवरी, 2020 तक
6	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अमरसारित करना।	12 फरवरी, 2020 से 22 फरवरी, 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देशारपद डाटा को एनआईटी की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	24 फरवरी, 2020 से 27 फरवरी, 2020 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध एवं सन्देशारपद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देशारपद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	29 फरवरी, 2020 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईटी की राज्य इकाई से भौग सृजित कराना।	05 मार्च, 2020 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PEMS से छात्र/छात्राओं के वचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	20 मार्च, 2020 तक

5- इस सन्दर्भ में यह सुनिश्चित करना है कि उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार वर्ष 2019-20 सत्र के छात्रों के आवेदन पत्रों का वरीयता क्रम छात्रवृत्ति नियमावली दिनांक 2019-20 सत्र के अनुसार निर्धारित किया जाना।

30.01.2019 व अन्य नियमावली में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव

प्र0सं0-16/2020/362(1)/26-3-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।

Aruhan
Registrar
King George Medical University
Lucknow
Signer ID: 22LWA18215...

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-177/स०क०/ शिक्षा-अ/07/28/2020-21, दिनांक-04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020-21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

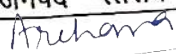
3- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक

Registrar
King George Medical University
Lucknow

	पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/ अद्यतन करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)
②	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति -समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट:-02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रामाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct) छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	30 सितम्बर 2020 तक


 Registrar
 King George Medical University
 Lucknow
 Signer ID: 22LWA18215...

	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2020 तक
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2020 को
	कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु	
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर, 2020 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
17	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 नवम्बर 2020 तक
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक
22	सन्देशास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक
23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक

Registrar

D P Dwivedi New go King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12दिसम्बर 2020 से 28दिसम्बर 2020 तक
25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	29 दिसम्बर 2020 से 06जनवरी 2021 तक
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	23 जनवरी 2021 तक
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2021 तक
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2020 को

नोट:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में सन्देहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेंगे।
- 6- उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

प्र0सं0- 84/2020/1332(1)/26-3-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

को० रविन्द्र नाथक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर 2021

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतियुक्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1091/स०क०/ शिक्षा-अ/7/52/2021-22, दिनांक-09.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में मास्टर डाटा जो लॉक करने हेतु संस्थाओं, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष तथा योजनाधिकारी, बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए सनयावधि विस्तारित करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- 2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के ऊन में शासनादेश संख्या-84/2021/1866/26-3-2021-4 (358)/07टी०सी०-III दिनांक 12-07-2021 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	सनयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य सनस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)	संशोधित सनयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य सनस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)
1	2	4	5
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से मासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। सनस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार फूल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते	18 अगस्त 2021 तक	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक

उपनिदेश
मा'क व अनुसूची
को अंशों

16/09/21

ID 10

प्र. प्र. प्र. प्र.

16.9.2021

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

	हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।		
1ए X	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	31 अगस्त 2021 तक	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक
1बी X	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	15 सितम्बर 2021 (नोट-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)	17 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	19 अगस्त 2021 से 16 सितम्बर 2021 तक	28 सितम्बर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन सत्यापित करना।	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक	12 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक जिम्मा (17) 4
2बी X	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम,	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक	01 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक

	पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।		
3 X	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक	12 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक

3- अतएव उक्त के सम्यन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलिओं में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पू०सं०-106 /2021/2688 (1)/26-3-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. रामरत कुल सचिव, केंद्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं रामरत एफिलियेटिंग एजेंसी जनपद लखनऊ।
2. रामरत, प्रबन्धक/कुल सचिव/निदेशक/प्राचार्य/मेडिकल इंजीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/पॉलीटेक्निक/आईटीआई/एवं रामरत एफिलियेटिंग एजेंसी जनपद लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।

पत्रांक C-19/18

/सोको/अत्रोमारटर/2021-22 दिनांक 2-11/2021 सितम्बर 2021.

विषय:-

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा-11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मारटर डाटावेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, उओप्रो सारान के सारानादेश संख्या-106/2021/2066/20-03-2021-4(358)/07 टीओसी मादिनांक 16 सितम्बर 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा-11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मारटर डाटावेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गयी है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया संशोधित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यष्टोक्त।

भवदीय

(डॉ० अमरेश/नीर/यति)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ

पृष्ठांकन २१० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उओप्रो, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. उप निदेशक, सूचना को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों में निःशुल्क करवाने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

संख्या-47/2022/902/26-3-2022-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 02 मई 2022

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-233/स०क०/ शिक्षा-अ/7/76/2022-23, दिनांक-22.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (प्रथम चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर के अंकों में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते)	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

	हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाएँ योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश। लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	05 मई 2022 से 31 मई 2022 तक।
1बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थाएँ) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का प्रकार। पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क। पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	07 जून 2022 से 30 जून 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी। बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ऑनलाईन लाक किया जाना।	07 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।

संख्या तथा सत्यापित फीस का ऑनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) ऑनलाइन लॉक किया जाना।

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु

4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	10 मई 2022 से 07 जुलाई 2022 तक।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल) इण्टरमीडिएट रोल नम्बर तथा आय) जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा याचित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर) विलम्बतम 11 जुलाई 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 मई 2022 से 13 जुलाई 2022 तक।
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों) शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	05 मई 2022 से 05 दिसम्बर 2022 तक।
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 अगस्त 2022 तक।
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त	14 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

	किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	तक।
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरांत डिजिटल हस्ताक्षर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	26 जुलाई 2022 से 07 अगस्त 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	11 अगस्त 2022 तक।
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	14 अगस्त 2022 तक।
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संस्थाओं हेतु		
क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (द्वितीय चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा वेब में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या/ सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/ अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाएँ योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश) लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश)	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।

Registrar
King George Medical University
Lucknow
Signer ID: 22LWA18215...

3-भाग नरयण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001)
से भेजकर पालकई प्राप्त करना।

101

योजनाधिकारी (आर प्रवेश प्रवृत्ति) से पालकई प्राप्त करके (नवीन संस्थाओं) मास्टर ड्राफ्ट में सम्पूर्ण सूचनाओं भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व में पालकई प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सैरी की संख्या, समस्त स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एनाल (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंश को मिलाने हुए), पाठ्यक्रमवार एकेडमिक रजिस्ट्री/विधिविभाग के नाम अइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।

11 जुलाई 2022 से 25 अगस्त 2022 तक।

(कोट-राज्य से बाहर की पूर्व में पालकई प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित का डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)

2

प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विधिविभाग एवं अन्य एकेडमिक रजिस्ट्री के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 स्तरी) तथा जिला समन्वय कल्याण अधिकारी (वेबल निगरानी से उपलब्धित संस्थाओं स्तरी) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सैरी की संख्या एवं फीस आदि को अंकित का उत्तरी प्रमाणितता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।

23 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।

24

योजनाधिकारी द्वारा प्रदेश प्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शास्त्रीय एवं शास्त्रीय सहयोग प्राप्त संस्थाओं स्तरी) द्वारा सभी संस्थाओं के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सैरी की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ऑनलाईन ताल किया जाना।

26 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।

3

प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विधिविभाग एवं अन्य एकेडमिक रजिस्ट्री के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि को प्रमाणितता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।

27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।

34

जनशैक्षिक प्रवृत्ति स्थापित समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, समस्त स्तर से अनुमोदित सैरी की संख्या तथा सत्यापित फीस का ऑनलाईन प्रत्येक पर अनुमोदन प्राप्त का जिला समन्वय कल्याण अधिकारी द्वारा जिला निष्ठा एवं कल्याण अधिकारी एवं जिला अत्यन्तव्यक्त कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थाओं के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सैरी की संख्या एवं फीस का विवरण (विधिविभाग/एकेडमिक रजिस्ट्री द्वारा ताल की गयी सैरी संख्या एवं फीस से अधिक ताल न की जाए) ऑनलाईन ताल किया जाना।

27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के आवेदन (Renewal)

छात्र/छात्राओं हेतु

4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	08 जुलाई 2022 से 01 नवंबर 2022 तक।
5	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कक्षा तथा आवेदन वगैरह) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिये जायेंगे।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	10 नवंबर 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 जुलाई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक।
8	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्यन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	10 दिसंबर 2022 तक।
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	16 नवंबर 2022 से 01 दिसंबर 2022 तक।
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्यन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	02 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक।
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से गॉग सृजित कराना।	23 दिसम्बर 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तर्गत किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 तक।

दोनों चरणों के संदेहस्पद डाटा को छात्रों द्वारा सही करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत डाटा का

Registration

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

13	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक।
14	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हाईकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 20 दिसम्बर 2022 तक।
15	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।	03 दिसम्बर 2022 से 27 दिसम्बर 2022 तक।
16	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न विन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक।
17	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	14 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक।
18	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	21 फरवरी 2023 तक।
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/ बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	24 फरवरी 2023 तक।

नोट:-

- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/ उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) अंकित करते हुये ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।
- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्सन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित

Registrar
King George Medical University
Lucknow
Signer ID: 22LWA18215...

कराते हुए अप्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन का अप्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अप्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमांत्तर याजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by ^{भवदीय} रजनीश चन्द्र

Date: 02-05-2022 15:44:18
विशेष सचिव।

Reason: Approved

पृ0सं0- 47/2022/902 (1)/26-3-2022 तददिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

Archan
Registrar
King George Medical University
Lucknow
Signer ID: 22LWA18215...

1/388816/2023

संख्या- 71/2023/2854/26-3-2023/C.N.-1513982

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर 2023

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2598/स०क०/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन के फलस्वरूप तथा पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट करने, नवीन पेज के निर्माण व सिक्वोरिटी आडिट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, तत्क्रम में वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	21 सितम्बर 2023 से 19 दिसम्बर 2023 तक
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन	22 सितम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक

Page 3/8

Archan
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

8/16/2023

	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	
छात्र स्तर से आनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
प्रथम चरण		
3	छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक
4.	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 जनवरी, 2024 तक
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 सितम्बर 2023 से 08 जनवरी 2024 तक
6	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	25 सितम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक
7	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 जनवरी 2024 से 03 मई 2024 तक
8	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	12 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

Page-329

6/2023

10	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	31 जनवरी 2024 से 04 मार्च 2024 तक
11	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	31 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
12	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 फरवरी 2024 तक
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	13 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक
14	जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	04 मार्च, 2024 तक
15	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	10 मार्च 2024 तक
16	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेंड/ एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 मार्च 2024 तक
द्वितीय चरण		
17	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक
18	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 अप्रैल, 2024 तक
19	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	08 अप्रैल 2024 तक

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

20	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	16 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक
21	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वारसविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वारसविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	16 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक
22	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय सागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की सागिन पर उपलब्ध कराना।	16 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक
23	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	17 जून 2024 तक
24	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के सागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 तक
25	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अप्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	26 अप्रैल 2024 से 07 मई 2024 तक
26	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय सागिन पर उपलब्ध कराना।	08 मई 2024 से 16 मई 2024 तक
27	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 जून 2024 तक

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

28	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	14 जून 2024 तक
29	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	21 जून 2024 तक

3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोत्रत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-

क- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।

ख- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।

ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गयी शुल्क को सत्यापित न किये जाने पर।

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215...

File No.26-3099/300/2021- -3-

6/2023

- 7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अप्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 8- प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लब्धित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
 Signed by रजनीश चन्द्र
 विशेष सचिव
 Date: 14-09-2023 17:14:34
 Reason: Approved

प्र0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
 विशेष सचिव।

Archan

Registrar

King George Medical University
Lucknow

Signer ID: 22LWA18215